


पत्रावली न्याय आपक का अभियान केस कोट
पंचायत मिशोरपुर में है। पक्षकारान
/ अधिवक्ता उमेश ने सहमति नहीं
बनने के कारण कोई समझौता नहीं हो सका। अतः
कानूनी तर्कानुसार दिनांक 21/8/18 को पेश हो

21/8

सत्यनारायण टैलर
Kotwar
21/8/18

17/8 आज मह पत्रावली कमील वाली
द्वारा मूल वाद में पाण्डज पेश
कले पर एलब की गयी पाणी
स्वयं उपो पाणी ने मूल वाद
में पाण्डज पेश कर विज्ञे कुरवा
कर खारिज कदवा लिमा है।
इस पाण्डज को भी खारिज
पलाने का कपन किया है।
अतः मूल वाद खारिज किया
जा चुका है। इस पाण्डज को
को खारिज चलाने का कोई
औचित्य नहीं है। पाण्डज
अस्थाई मिसेवाका भी खारिज
किया जा रहा है।


अपखण्ड अधिकारी
फार्म (जयपुर)